संख्या-18/2018/497/60-3-18-3(1)/13

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2018

विषय:-उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित निराश्रित बालकों की देखरेख के लिए स्थापित संस्थाओं में आवासरत संवासियों के भरण-पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, मोतीमहल, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-397/अनु-1975/2017-18, दिनांक 06.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से संचालित 09 संस्थाओं में आवासरत संवासियों के भरण-पोषण हेतु अवशेष रू0-12,89,250.00 की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड की संस्तुति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रश्नगत 09 (नौ) संस्थाओं में आवासरत संवासियों के भरण पोषण हेतु उनके नामों के सम्मुख अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में संस्तुत धनराशि का 1/2 धनराशि (50 प्रतिशत) रू0-12,89,250.00 (रूपये-बारह लाख नवासी हजार दो सौ पचास मात्र) का अनुदान निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्वीकृत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

क0 सं0	संस्था का नाम	संवासियों की संख्या	संस्तुत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	कस्तूरबा आश्रम कोल बालिका विद्यालय, पसना, इलाहाबाद।	45	1,71,900.00	85,950.00
2	हसमती यतीमखाना अन्तर्गत मदरसा इस्लामिया अहलेसुन्नत हसमतुल उलूम रामपुर कटरा, बाराबंकी।	60	2,29,200.00	1,14,600.00
3	अनाथालय (यतीमखाना) अन्तर्गत इकरा एजुकेशन एण्ड टेक्नीकल, हथियागढ़, महाराजगंज।	100	3,82,000.00	1,91,000.00
4	सन्त कबीर बाल आश्रम, एफ0-36, डीघा औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, सन्त कबीरनगर।	70	2,67,400.00	1,33,700.00
5	लीलावती मुंशी निराश्रित बाल गृह, मोतीनगर, लखनऊ।	74	2,82,680.00	1,41,340.00
6	कमरयाब जिलानी बैतुल निस्वां ब्लाक अन्तर्गत अंजुमन इस्लाहुल मुसलमीन बाग, गूंगेनवाब, अमीनाबाद, लखनऊ।	24	91,680.00	45,840.00
7	मुमताज आर्फनेज अन्तर्गत अंजुमन इस्लाहुल मुसलमीन बाग गूंगेनवाब, अमीनाबाद, लखनऊ।	61	2,33,020.00	1,16,510.00
8	मदरसा अरबिया इस्लामिया, फैजुल उलूम (यतीमखाना), ग्राम व पो0-सबलापुर, बहराइच।	150	5,73,000.00	2,86,500.00
9	दारूल उलूम, बहारशाह यतीमिया अन्तर्गत दारूल उलूम बहारशाह, कन्धारी बाजार, फैजाबाद।	91	3,47,620.00	1,73,810.00
	योग	675	25,78,500.00	12,89,250.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(रूपये-बारह लाख नवासी हजार दो सौ पचास मात्र)

3- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, महिला कल्याण के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त कोषागार से आहरित कर उक्त संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर शासन को विलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य उपलबध करा दिये जायें।

5- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पोस्ट ऑफिस/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

6- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-107-स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-05-स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं की सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-760/दस-2018, दिनांक 24 मार्च 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या-497 (1)/60-3-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 संगम प्लेस सिविल लाइन्स, इलाहाबाद/जिला सम्परीक्षा अधिकारी, लखनऊ/जिला सम्परीक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोतीमहल, लखनऊ।
7- संबंधित संस्थायें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।